न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-81RAAJodhpur2023-29RTA223 Godaram Vs Kishanlal etc
2023-140RAAJodhpur2023-88 Godaram VS Kishanlal etc

गोदाराम पुत्र जेठाराम, जाति भील, निवासी- ग्राम बोरानाडा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. किशनलाल पुत्र मांगीलाल, जाति भील,
2. जीतुराम उर्फ जितेन्द्र पुत्र आदुराम, जाति भील
3. रामाराम पुत्र पोकरराम, जाति भील,
4. श्रवणराम पुत्र आदूराम, जाति भील
   सभी निवासीगण- ग्राम बोरानाडा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
5. संतोष पत्नी भलाराम, जाति भील, निवासी- ग्राम जाटियासनी, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 जनवरी 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 128/2022 किशनलाल व अन्य बनाम रामाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री अवतार सिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन से पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(2)2023-140RAAJodhpur2023-88 Godaram VS Kishanlal etc

गोदाराम पुत्र जेठाराम, जाति भील, निवासी- ग्राम बोरानाडा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. किशनलाल पुत्र मांगीलाल, जाति भील,
2. जीतुराम उर्फ जितेन्द्र पुत्र आदुराम, जाति भील
3. रामाराम पुत्र पोकरराम, जाति भील,
4. श्रवणराम पुत्र आदूराम, जाति भील
   सभी निवासीगण- ग्राम बोरानाडा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
5. संतोष पत्नी भलाराम, जाति भील, निवासी- ग्राम जाटियासनी, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 128/2022 किशनलाल व अन्य बनाम रामाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

श्री अवतार सिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन से पांच

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

निर्णय

दिनांक : 27 जुलाई 2023

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने दोनो अपीले सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 128/2022 किशनलाल व अन्य बनाम रामाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 जनवरी 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः दिनांक 02 फरवरी 2023 एवं 19 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील संख्या 88/2023 को प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय-वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही हैं। प्रत्येक अपील में निर्णय की प्रति संलग्न की जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बंटवाड़ा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 294 रकबा 4.5001 हैक्टेयर ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर के संबंध में अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद स्वीकार कर दिनांक 18 जनवरी 2023 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार झंवर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार झवंर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2023 को निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपीले प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आलौच्य निर्णय एंव डिक्री विधि विरुद्ध होने से काबिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निरस्त है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट विचारण न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो गया तथा जवाब हेतु चाहा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय से यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी को नोटिस के साथ दावे की नकल प्राप्त नहीं हुई है जो दिलाई जावे। उक्त कथन आदेशिका दिनांक 12.01.2023 से परिलक्षित है। उस दिन श्रीमान पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त थे तथा पत्रावली दिनांक 18.01.2023 को नियत की गई तथा दिनांक 18.01.2023 को श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को दावा की नकल दिये बिना ही अपीलांट को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना ही उसकी सहमति दर्शाते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। प्रतिवादीगण संतोष, रामाराम व श्रवणराम ने वादी के साथ दुराभिसंधि कर अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट की भी सहमति दर्शा दी, किंतु अपीलांट द्वारा श्री महेन्द्र चौधरी एवं रमेश मोटड़ा के अलाया अन्य किसी अधिवक्ता को नियुक्त नहीं किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान् का जवाब मानते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध अपील संख्या 29/2022 प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय एवं डिक्री की पालना एवं प्रभावों को स्थगित किया गया तथा विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे में पूर्व में दी गई तारीख पेशी दिनांक 13.02.2023 में कांट-छांट करते हुए दिनांक 06.02.2023 अंकित कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि पक्षकारान् को सुने बिना न्यायालय को किसी भी तरह का कोई निर्णय पारित नहीं करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया का पालन किये बिना तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश पारित कर विचारण न्यायालय की पत्रावली को तलब किये जाने के बावजूद न्यायालय हाजा के आदेशों की अवहेलना करते हुए पूर्व तारीख पेशी में कांट छांट कर अंतिम डिक्री जारी कर दी। बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करते वक्त तहसीलदार, भू-अभिलेख झंवर द्वारा अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया तथा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में एकतरफा बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तहसीलदार द्वारा प्रत्यर्थीगण से मिलीभगत कर अपीलांट की जमीन की स्थिति अपनी मनमर्जी से दर्ज करवायी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 20.02.2023 को अपीलार्थी की मोटरसाईकल के दुर्घटनाग्रस्त होने से अपीलार्थी के पांव में अस्थि भंग हो गया जिससे अपीलार्थी दिनांक 21.02.2023 से दिनांक 24.02.2023 तक गोयल अस्पताल में भर्ती रहा। अपीलार्थी के पांव में चोट लगने के कारण अपीलार्थी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कई दिन तक घर पर ही फिजियों थेरेपी करवाता रहा तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया। वर्तमान अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी उपरोक्त कारण एवं परिस्थितियोंवश है ना कि जानबूझकर जिस कारण से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील संख्या 88/2023 में हुई देरी को माफ किया जाकर उक्त अपील अंदर म्याद शुमार की जावे एवं दोनो अपीले स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 128/2022 किशनलाल व अन्य बनाम रामाराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 जनवरी 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयों का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। कानूनन सहमति से पारित निर्णय के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। तहसीलदार झंवर द्वारा नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है तथा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत पारित की है। अतः प्रस्तुत अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2022 को वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किये जाने के आदेश दिये गये तथा आगामी पेशी दिनांक 12.01.2023 नियत की गई। दिनांक 12.01.2023 को अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर दावा की प्रति दिलाने का निवेदन किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया में तहत जवाब एवं साक्ष्य लिये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुति का विधिनुसार समुचित समय एवं अवसर प्रदान किये बिना ही अन्य प्रतिवादीगण द्वारा दिये गये जवाब के आधार पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत होने के तथ्य अपीलांट द्वारा दिनांक 06.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

02.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय को अवगत करवाये जाने तथा स्थगन आदेश के जरिये निर्णय एवं डिक्री की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गई है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 128/2022 किशनलाल व अन्य बनाम रामाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 जनवरी 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 को खारिज किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा वाद विचारण की प्रक्रिया को अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.07.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर